

उम्मा
3.12.2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
पशुराम पुत्र आशाराम मण्डपंथी काकोट	बी म	राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.LAct 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 282/2021 GCMS No. 2021/1059

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

3/12/2021

वादी श्री पशुराम पुत्र आशाराम
जाति मण्डपंथी निवासी काकोट द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पैनपुय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 ग्राम काकोट पटवार मण्डल शिय के खाता नम्बर 51 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि पशुराम पुत्र आशाराम

दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम पशुराम पुत्र आशाराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 66837880012 आधार नम्बर 6077 7274 4287 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी शिय भूअनि पिपल एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

1151-1153